रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 396] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 14, 2017/माघ 25, 1938
No. 396] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 14, 2017/MAGHA 25, 1938

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2017

**का.आ. 435(अ).**—प्रारुप अधिसूचना भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2807 (अ) तारीख 13 अक्टूबर, 2015, द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट है, उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र, जिसमें उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट है, की प्रतियां जनता को 2 नवम्बर, 2015 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया है;

और, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, राजस्थान के उदयपुर जिले में उत्तरी अक्षांश 24° 35 से 24° 39 उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशान्तर 73° 37 से पूर्वी 73° 40 के बीच अरावली श्रृंखलाओं के दक्षिणी भाग में स्थित है और 5.19 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है;

और, अभयारण्य में विविध जीवजन्तु और वनस्पतियों का वास है, जिसमें स्तनधारियों की 26 प्रजातियां, पक्षियों की 115 प्रजातियां, सरीसृपों की 33 प्रजातियों और 7 उभयचर प्रजातियों का संभरण करता है;

और, अभयारण्य में तेंदुए, धारीदार लकड़बग्घा, भारतीय लोमड़ी, जंगली बिल्ली, ताड़ी बिल्ली, छोटे भारतीय सीविट, सियार, फ्लाइंग फॉक्स, सांभर, चित्तीदार हिरण आदि हैं;

और, चैंपियन एवं सेठ के वर्गीकरण के अनुसार अभयारण्य का क्षेत्र शुष्क कटिबंधीय वन के अन्तर्गत आता है तथा पौधों की प्रमुख प्रजातियों जैसे *एनोजेसिस पेंडुला, लानेया ग्रांडिस, अकाकिया कैटुचू, मितराग्ना पारविफ्लोरा, बोसवेलिया सेराटा, एनोजेसिस लैटिफोलिया, अकाकिया लिकोफोलिया* आदि हैं;

और, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिक और पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य में सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 250 मीटर से 5 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 250 मीटर से 5 किलोमीटर तक भिन्न-भिन्न विस्तार के साथ 28.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है और उक्त जोन का सीमा वर्णन **उपाबंध-I** पर दिया गया है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन राजस्थान के उदयपुर जिले की गिरवा तहसील के 9 ग्रामों तक फैला हुआ है |

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र इसके अक्षांश और देशान्तर के साथ **उपाबंध II** के रुप में संलग्न है ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के निर्देशांक **उपाबंध III** में दिए गए हैं और प्रमुख बिंदुओं के निर्देशांक के साथ-साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रुप में संलग्न है ।

**2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना –** (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों पालन करके आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) उक्त योजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाएगी ।

(3) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति में, तैयार की जाएगी जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, के भी अनुरुप है ।

(4) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने संबद्ध राज्य के सभी विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) नगर विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिका ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(viii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(ix) सिंचाई; और

(x) लोक निर्माण विभाग।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन तब तक अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न किया गया हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) में क्रम सं0 15, 22, 28, 30 और 33 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ करना और नई सड़कों का सन्निर्माण;

(ii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप ;

(iv) वर्षा जल संचय; और

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं:

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में प्रकट होने वाली कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित की जाएगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** - आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों में या उनके निकट ऐसे विकास क्रियाकलाप जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकर हैं प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी ।

(ख) पर्यटन महायोजना, पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा और पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक कि.मी. के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ;

परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसोर्ट की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधा के लिए पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट स्थान में ही अनुज्ञात किया जाएगा ।

(iii) वाणिज्यिक पारिस्थितिक पर्यटन स्थापनों को "वन्यजीव निवास में गैर वानिकी क्रियाकलापों करने के लिए दिशा-निर्देशों" के अनुसार जारी एफ. सं. 610/2011 वन्यजीव तारीख 15 मार्च, 2011 द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय (वन्यजीव प्रभाग), नई दिल्ली और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देशों (यदि लागू हो) के अनुसार कड़ाई से विनियमित किया जाएगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, वास्तु शिलपीय सौंदर्यपरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और उपक्षेत्रों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के नियत उपबधों के अनुसार विनियमों को कार्यान्वित करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. का.आ.343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गति आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों के अधीन बनाए गए और तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यानीय गति के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

**(12) औद्योगिक यूनिट -** (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ग) कोई नया विस्फोटक पदार्थ भंडार पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर स्थापित नहीं किया जाएगा।

**4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

**सारणी**

| क्रम सं. | क्रियाकलाप | टीका-टिप्पणी |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | **प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप** | |
| 1. | वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने इकाइयां । | (क) नए और विद्यामान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खदान और तोड़ने की इकाइयों को व्यक्तिगत उपभोग के लिए मकानों के सन्ननिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदने या मकानों के लिए देसी टाइल्स या ईंटों के विनिर्माण के प्रतिनिर्देश से स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं के सिवाए प्रतिषिद्ध किया जाएगा ;<br>परन्तु खड़ी ढलानों पहाड़ियों के पर कोई खान उत्खनन या भूमि का उत्खनन या खुदाई नहीं की जाएगी ।<br>स्पष्टीकरण – "खड़ी पहाड़ी ढलान" से $20^0$ से अधिक ढाल वाली पहाड़ी ढलान अभिप्रेत है ।<br>(ख) खनन संक्रियाएं माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गोविंदरामन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के सर्वदा अनुसरण में होगी । |
| 2. | आरा मीलों की स्थापना । | पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा । |
| 3. | जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना। | पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा । |
| 4. | जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग । | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) । |
| 5. | नई बृहत जल विद्युत परियोजनाओं और सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना । | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) । |
| 6. | किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन । | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) । |

| | | |
|---|---|---|
| 7. | प्राकृतिक जल निकायों भू-क्षेत्र में अनुपचारित बहि: स्त्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्तारण । | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) । |
| 8. | नए काष्ठ आधारित उद्योग । | पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी:<br>परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार बना रहेगा :<br>परंतु यह और कि विद्यमान आरा मिलों की अनुज्ञप्तियों का नवीकरण उनकी पर्यवसान अवधि पर नहीं किया जाएगा । |
| | **विनियमित क्रियाकलाप** | |
| 9. | होटलों और रिसोर्टों की स्थापना । | पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी निकतर है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे :<br>परन्तु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से परे या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरुप होगा ।<br>वाणिज्यिक पारिस्थितिक पर्यटन के स्थापनों को "वन्यजीव निवास में गैर वानिकी क्रियाकलापों के लिए दिशा-निर्देशों" के अनुसार जारी एफ. सं. 610/2011 वन्यजीव तारीख 15 मार्च, 2011 द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय (वन्यजीव प्रभाग), नई दिल्ली और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देशों (यदि लागू हो) के अनुसार सर्वदा विनियमित किया जाएगा । |
| 10. | संनिर्माण क्रियाकलाप । | (क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक, जो की निकटतर हो किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:<br>परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी ।<br>परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जांएगे ही और न्यूनतम पर रखे जाएंगे ।<br>(ख) एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी और अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप और नागरिक सुख सुविधाओं के संनिर्माण और संविधान को आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा। |
| 11. | वृक्षों की कटाई । | (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर के वनों में वृक्षों की कोई कटाई नहीं होगी ।<br>(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।<br>(ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा में कार्य योजना निदेश का अनुपालन किया जाएगा । |
| 12. | वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है । | (क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि उपयोग और घरेलू खपत के लिए सतही जल और भूमिगत जल का निष्कर्षण अनुज्ञात होगा ।<br>(ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल को निष्कर्षण जिसके अन्तर्गत वह मात्रा भी है जिसका निष्कर्षण किया सकता है के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी ।<br>(ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा ।<br>(घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए |

| | | |
|---|---|---|
| | | उपाय किए जाएंगे। |
| 13. | विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण। | भूमिगत केबलों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। |
| 14. | होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| 15. | नई सड़कों का संनिर्माण विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा जिसमें नागरिक सुख सुवाधाएं भी है। | उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय, यथा लागू, सहित किए जाएंगे। |
| 16. | पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप करना जैसे वायुयान या गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के ऊपर से उड़ना। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| 17. | रात्रि में यानिक यातायात का संचलन। | लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे। |
| 18. | विदेशी प्रजातियों को लाना | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| 19. | पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| 20. | प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण। | उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित किया जाएगा और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन किया जाएगा। |
| 21. | वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| 22. | प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग। | पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषणकारी, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि पुष्प कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे। |
| 23. | वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| 24. | वायु और यानिक प्रदूषण। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| 25. | पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र में पालीथीन के थैलों का उपयोग। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| 26. | कृषि प्रणालियों में भारी परिवर्तन। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| 27. | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| 28. | पारिस्थितिक-पर्यटन क्रियाकलाप। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| | **संवर्धित क्रियाकलाप** | |
| 29. | स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्ध उद्योग, जल कृषि और मछली पालन। | लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे। |
| 30. | वर्षा जल संचयन। | सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए। |
| 31. | जैविक खेती। | सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए। |
| 32. | सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना । | सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए। |
| 33. | कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं। | सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए। |
| 34 | नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग। | बायो गैस, सोलर लाइट आदि को बढ़ावा दिया जाए। |
| 35. | कृषि वानिकी। | सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए। |
| 36. | पर्यावरणीय जागरुकता। | सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए। |
| 37. | कौशल विकास। | सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए। |
| 38. | निम्नीकृत भूमि या वनों या वास की बहाली। | सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए। |

**5. पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति-** (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्

(क) जिला कलेक्टर, उदयपुर - अध्यक्ष ;

(ख) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन का राजस्थान सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामित एक प्रतिनिधि – सदस्य;

(ग) परिस्थिति विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में राजस्थान सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामित एक विशेषज्ञ – सदस्य;

(घ) लोक निर्माण विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी – सदस्य;

(ङ) खनन विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी – सदस्य;

(च) सिंचाई विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी – सदस्य;

(छ) पर्यटन विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी – सदस्य;

(ज) पुलिस विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी – सदस्य;

(झ) नगर पालिका परिषद विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी – सदस्य;

(ञ) उद्योग विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी – सदस्य

(ट) यूआईटी विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी – सदस्य;

(ठ) क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, - सदस्य;

(ड) उप मण्डल अधिकारी, उदयपुर – सदस्य

(ढ) वन उप संरक्षक – सदस्य-सचिव ।

**6. निर्देश निबंधन**

(1) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध यथा विनिर्दिष्ट गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, और पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य जीव वार्डन **उपाबंध V** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय या माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा. सं. 25/34/2015-ईएसजेड-आरई]
ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

**उपाबंध – I**

**सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन**

| | |
|---|---|
| **दक्षिण** | शिल्पग्राम तिराहा से शुरु होकर (फतेह सागर के किनारे रानी सड़क पर त्रि-जंक्शन रोड तक), आगे सड़क के साथ घुम कर, राजीव गांधी पार्क तक पहुंचता है – आगे गांव हवाला की ओर पार्क सीमा के साथ आगे बढ़ते हुए हवाला गांव की ओर मुस्लिम कब्रिस्तान तक बाहर की ओर पहुँचते है – पश्चिमी सीमा के साथ आगे बढ़ते हुए हवाला घेर के उत्तर-पूर्वी कोने के कब्रिस्तान तक पहुंचता है (सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य) - आगे दक्षिण दिशा की ओर पूर्वी दीवार के साथ घेर की दीवार के साथ, हवाला के घेर के साथ दक्षिण-पूर्वी कोने तक पहुंचता है –उदयपुर शहर की ओर टार सड़क के साथ आगे बढ़ता हुआ, त्रि-जंक्शन रोड के पावर हाउस तक पहुंचता है – इसके बाद टार रोड़ के बिन्दु के साथ आगे बढ़ता हुआ, रामपुर चौराहा तक पहुंचता है – टार रोड़ के साथ आगे बढ़ता हुआ, सिसरमा नदी के पुल के पास सिसरमा गांव तक पहुंचता है – कलारोई गांव की ओर मुड़ते हुए (गांव के बाहर होते हुए), कोदिअत रोड तक पहुंचता है – कालेर वन ब्लॉक के दक्षिणी सीमा के साथ आगे बढ़ते हुए बुजरा की भागल के समीप अमरजोक नदी तक पहुंचता है । |
| **पश्चिम** | बुजरा की भागल के समीप अमरजोक नदी से शुरु होकर कालेर ब्लाक की सीमा तक पहुंचता है (कोदिअत गांव की बाहरी तरफ), उबेशवर रोड पर मोरवनिया गांव तक पहुंचता है (मोरवनिया गांव की बाहरी तरफ) – उक्त बिन्दु के साथ आगे बढ़ते हुए मोरवनिया नदी तक पहुंचता है । |
| **उत्तर** | मोरवनिया नदी से शुरू होकर, आगे उत्तर की ओर बढ़ता है एक छोटी पहाड़ी पर पश्चिम में वरदा रोड होते हुए पैरालेल रोड तक पहुंचती है - पहाड़ी के साथ आगे बढ़ते हुए, नथवाटोन का गुलाफला तक पहुँच गया (नथवाटोन का गुलाफला के भीतरी सीमा पर) – , दो छोटे छोटी पहाड़ियों के बीच से आगे बढ़ता हुआ, मकरेदा ब्लाक की ओर मुड़ता है, इस ब्लाक के उच्च शिखर पर 896 मीटर तक पहुँचता है – इसके बाद मकरेदा ब्लाक के रिजलाइन के साथ-साथ आगे बढ़ते हुए (जो भी ब्लाक की सीमा भी है) उत्तरी सीमा की ओर थोर रोड तक पहुँचती है । |
| **पूर्व** | थोर रोड से शुरु होकर मकरेदा वन ब्लाक की पूर्वी सीमा की ओर मुड़ती है, और सन्तोरियम बड़ी टी बी तक पहुँचती है – इसके बाद उदयपुर सड़क के इस बिंदु के साथ आगे बढ़ती है, वन्यजीव प्रभाग के करीब रानी रोड पर त्रि-जंक्शन के समीप तक पहुँचती है – इसके बाद रानी रोड पर होते हुए थोर मगरा वन ब्लाक के भीतरी सीमा के समीप, शिल्पग्राम तिराहा की परिधि के समीप तक पहुँचती है । |

## उपाबंध II

निर्देशांकों सहित सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

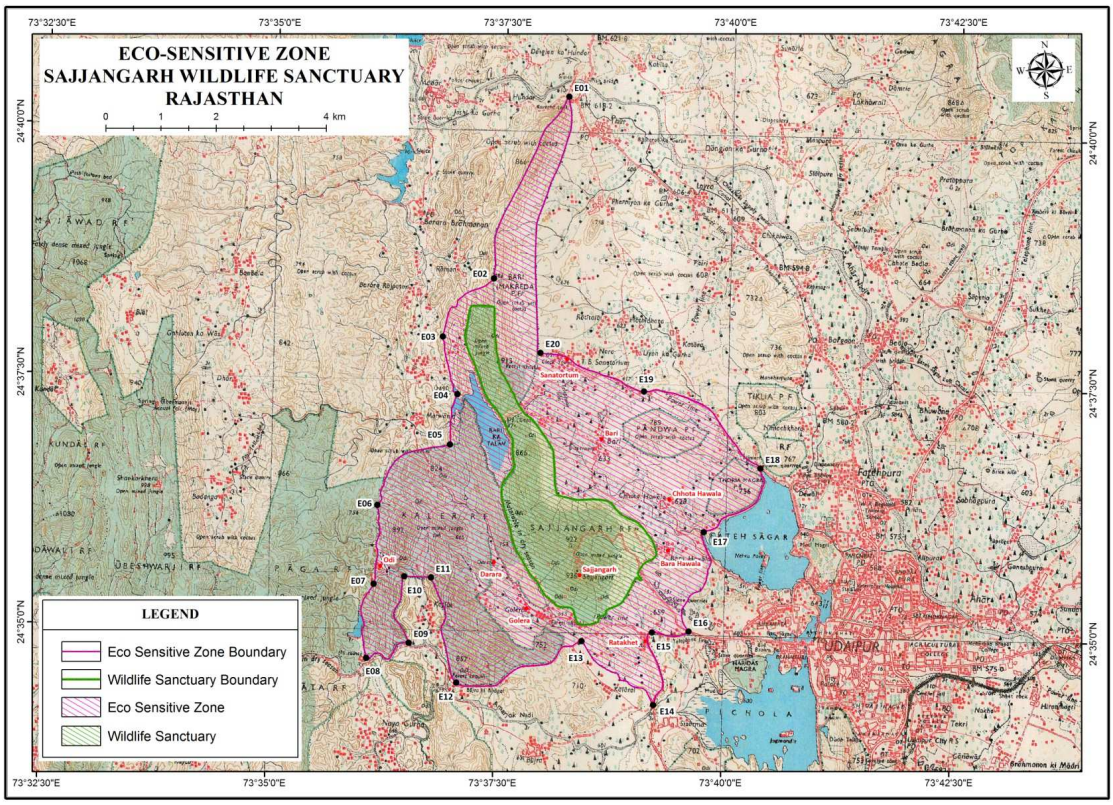


**उपाबंध III**

**सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के बिन्दुओं के जी. पी. एस. निर्देशांक**

| क्र.सं. | जी.पी.एस. | देशान्तर | अक्षांश |
|---|---|---|---|
| 1 | इ01 | 73° 38.185' पू | 24° 40.357' उ |
| 2 | इ 02 | 73° 37.399' पू | 24° 38.527' उ |
| 3 | इ 03 | 73° 36.853' पू | 24° 37.936' उ |
| 4 | इ 04 | 73° 37.026' पू | 24° 37.365' उ |
| 5 | इ 05 | 73° 36.955' पू | 24° 36.861' उ |
| 6 | इ 06 | 73° 36.173' पू | 24° 36.240' उ |
| 7 | इ 07 | 73° 36.153' पू | 24° 35.452' उ |
| 8 | इ 08 | 73° 36.087' पू | 24° 34.713' उ |
| 9 | इ 09 | 73° 36.549' पू | 24° 34.871' उ |
| 10 | इ 10 | 73° 36.483' पू | 24° 35.534' उ |
| 11 | इ 11 | 73° 36.778' पू | 24° 35.528' उ |
| 12 | इ 12 | 73° 37.080' पू | 24° 34.483' उ |
| 13 | इ 13 | 73° 38.443' पू | 24° 34.923' उ |
| 14 | इ 14 | 73° 39.244' पू | 24° 34.301' उ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 | इ 15 | 73° 39.213' पू | 24° 35.025' उ |
| 16 | इ 16 | 73° 39.614' पू | 24° 35.042' उ |
| 17 | इ 17 | 73° 39.757' पू | 24° 36.038' उ |
| 18 | इ 18 | 73° 40.366' पू | 24° 36.684' उ |
| 19 | इ 19 | 73° 39.071' पू | 24° 37.430' उ |
| 20 | इ 20 | 73° 37.927' पू | 24° 37.794' उ |

**उपाबंध IV**

**पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले ग्रामों की सूची**

| क्र.सं. | गांव | देशान्तर | अक्षांश |
|---|---|---|---|
| 1 | बरी | 73° 38.620' पू | 24° 36.944' उ |
| 2 | सनातोरतम | 73° 38.222' पू | 24° 37.734' उ |
| 3 | छोटा हवाला | 73° 39.374' पू | 24° 36.355' उ |
| 4 | बड़ा हवाला | 73° 39.370' पू | 24° 35.845' उ |
| 5 | सज्जनगढ़ | 73° 38.408' पू | 24° 35.580' उ |
| 6 | गोलेरा | 73° 37.833' पू | 24° 35.237' उ |
| 7 | दरारा | 73° 37.466' पू | 24° 35.693' उ |
| 8 | रताखेत | 73° 39.144' पू | 24° 34.935' उ |
| 9 | ओदी | 73° 36.218' पू | 24° 35.632' उ |

**उपाबंध V**

**पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान**

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th February, 2017

**S.O.435(E).—**WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2807(E), dated the 13th October, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

**AND WHEREAS,** copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 2nd November 2015;

**AND WHEREAS,** objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

**AND WHEREAS,** the Sajjangarh Wildlife Sanctuary is located in the southern part of Aravalli series between $24^0$ 35 ' N to 24 $^0$ 39' N Latitudes and 73 °37' *E* to 73° 40'E Longitudes in District Udaipur, Rajasthan and is spread across 5.19 square kilometer;

**AND WHEREAS,** Sanctuary has a varied habitat having diversified fauna and flora and supports 26 species of mammals, 115 species of birds, 33 species of reptiles and 7 amphibian species;

**AND WHEREAS,** the Sanctuary harbours Leopard, Striped Hyaena, Indian Fox, Jungle Cat, Toddy cat, Small Indian Civet, Jackal, Flying fox, Sambar, Spotted Deer, etc.;

**AND WHEREAS,** the sanctuary has Tropical Dry Deciduous Forests as per Champion and Seth Classification and the major plant species are *Anogeissus pendula, Lannea grandis, Acacia catechu, Mitragyna parviflora, Boswellia serrata, Anogeissus latifolia, Acacia leucophloea etc.;*

**AND WHEREAS,** it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification, around the protected area of Sajjangarh Wildlife Sanctuary as Eco- sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

**NOW THEREFORE,** in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986), read with sub- rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent ranging from 250 meters to 5 kilometers around the boundary of Sajjangarh Wildlife Sanctuary in the State of Rajasthan as the Sajjangarh Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

**1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.-** (1) The Eco-Sensitive Zone is spread over an area of 28.7 square kilometers with an extent varying from 250 meters to 5 kilometers around the boundary of Sajjangarh Wildlife Sanctuary and the boundary description of the said Zone is given in **Annexure I**.

(2) The Eco-sensitive Zone is spread across 9 villages falling in Girva Tehsil, Udaipur District of Rajasthan.

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with latitude and longitude is appended as **Annexure II.**

(4) The co-ordinates of Eco-sensitive Zone are given at Annexure-III and the list of villages falling within Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure IV.**

**2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) the said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) the Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;
(ii) Forest;
(iii) Urban Development;
(iv) Tourism;
(v) Municipal;
(vi) Revenue;

(vii) Agriculture;
(viii) State Pollution Control Board;
(ix) Irrigation; and
(x) Public Works Department, for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6)The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7)The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8)The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 15, 22, 28, 30 and 33 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) small scale industries not causing pollution;
(iii) eco-friendly tourism activities;
(iv) rainwater harvesting; and
(v) cottage industries including village artisans, etc.

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Eco-tourism.-** (a) The activity relating to Eco-tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the Government of Rajasthan.

(c) The activity of Eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new Eco-tourism activities or expansion of existing eco-tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the protected area or up to the boundary of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities:

Provided that, beyond one kilometre or up to the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan.

(iii) commercial Eco-tourism establishments shall be regulated strictly in accordance with "the guidelines for taking non forestry activities in Wild life habitats" issued vide F.No.610/2011 WL, dated the 15th March, 2011 by the Ministry of Environment and Forests (WL Division), New Delhi and National Tiger Conservation Authority guidelines (if applicable).

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or State Pollution Control Board shall implement standards and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rule made thereunder. If required, standards may be made more stringent for protection of environment.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

**(10) Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units.-** (a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil or noise pollution within the Eco-sensitive Zone shall be permitted.

(c) No new explosive go down shall be established within the Eco-sensitive Zone.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

**TABLE**

| S.No. | Activity | Remarks |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| **Prohibited Activities** | | |
| 1. | Commercial mining, stone quarrying and crushing units. | (a) New and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption:<br>Provided no mining quarrying, quarrying of digging of earth shall be carried out on steep hill slopes.<br>Explanation.- "steep hill slope" means hill slope with a gradient of more than 20º.<br>(b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012. |
| 2. | Setting up of saw mills. | No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone. |
| 3. | Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution. | No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted. |
| 4. | Commercial use of firewood. | Prohibited as per applicable laws. |
| 5. | Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 6. | Use or production of any hazardous substances. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 7. | Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 8. | New wood based industry. | No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone:<br>Provided the existing wood-based industry may continue as per law:<br>Provided further that renewal of licenses of existing saw mills shall not be done on their expiry period. |
| **Regulated Activities** | | |
| 9. | Establishment of hotels and resorts. | No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or up to the boundary of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities:<br>Provided that, beyond one kilometre or up |

| | | |
|---|---|---|
| | | to the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan.<br>Commercial eco-tourism establishments shall be regulated strictly in accordance with "the guidelines for taking non forestry activities in Wild life habitats" issued vide F.No.610/2011 WL dated the 15th March, 2011 by the Ministry of Environment and Forests (WL Division), New Delhi and National Tiger Conservation Authority guidelines (if applicable). |
| 10. | Construction activities. | (a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of protected area or up to the boundary of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:<br>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3:<br>Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per the applicable rules and regulations, if any.<br>(b) Beyond one kilometer up to the extent of Eco-sensitive Zone, construction for bone fide local needs shall be allowed and other construction activities and construction and augmentation of civic amenities shall be regulated as per the Zonal Master Plan. |
| 11. | Felling of trees. | (a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government.<br>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.<br>(c) In case of Reserve Forests and Protected Forests, the Working Plan prescriptions shall be followed. |
| 12. | Commercial water resources including ground water harvesting. | (a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for bona fide agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land.<br>(b) Extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority.<br>(c) No sale of surface water or ground water shall be permitted;<br>(d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture. |
| 13. | Erection of electrical and telecommunication towers. | Underground cabling shall be promoted |

| | | |
|---|---|---|
| 14. | Fencing of existing premises of hotels and lodges. | Regulated under applicable laws. |
| 15. | Construction of new roads, widening and strengthening of existing roads including civic amenities. | Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable. |
| 16. | Undertaking activities related to tourism like over-flying the Eco-sensitive Zone area by aircraft, hot-air balloons. | Regulated as per applicable laws. |
| 17. | Movement of vehicular traffic at night. | Regulated for commercial, purpose, under applicable laws. |
| 18. | Introduction of exotic species. | Regulated under applicable laws. |
| 19. | Protection of hill slopes and river banks. | Regulated under applicable laws. |
| 20. | Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area. | Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed. |
| 21. | Commercial sign boards and hoardings. | Regulated under applicable laws. |
| 22. | Small scale industries not causing pollution. | Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted. |
| 23. | Collection of forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP). | Regulated under applicable laws. |
| 24 | Air and vehicular pollution. | Regulated under applicable laws. |
| 25 | Use of polythene bags in Eco-sensitive Zone area. | Regulated under applicable laws. |
| 26 | Drastic change of agriculture systems. | Regulated under applicable laws. |
| 27. | Solid waste management. | Regulated under applicable laws. |
| 28. | Eco-tourism. | Regulated under applicable laws. |
| **Promoted Activities** | | |
| 29. | Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairy farming, aquaculture and fisheries. | Permitted under applicable laws. |
| 30. | Rain water harvesting. | Shall be actively promoted. |
| 31. | Organic farming. | Shall be actively promoted. |
| 32. | Adoption of green technology for all activities. | Shall be actively promoted. |
| 33. | Cottage industries including village artisans, etc. | Shall be actively promoted. |
| 34. | Use of renewable energy sources. | Bio gas, solar light, etc. to be promoted. |
| 35. | Agro forestry. | Shall be actively promoted. |
| 36. | Environnemental awareness. | Shall be actively promoted. |
| 37. | Skill development. | Shall be actively promoted. |
| 38. | Restoration of degraded land or forests or habitat. | Shall be actively promoted. |

**5. Monitoring Committee:-** (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

(a) District Collector, Udaipur - Chairman;

(b) one representative of Non-Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Rajasthan for a term of three year – Member;

(c) one expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Rajasthan for a term of three year – Member;

(d) District level officer of the Public Work Department –Member;

(e) District level officer of the Mining Departments – Member;

(f) District level officer of the Irrigation Departments – Member;

(g) District level officer of the Tourism Departments – Member;

(h) District level officer of the Police Departments – Member;

(i) District level officer of the Municipal Council Departments – Member;

(j) District level officer of the Industry Departments – Member;

(k) District level officer of the UIT Departments – Member;

(l) Regional Officer (RO) of the State Pollution Control Board – Member;

(m) SDO, Udaipur -Member;

(n) Deputy Conservator of forest – Member-Secretary.

**6. Terms of reference.-** (1) The tenure of the Monitoring Committee shall be of three years.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India, Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India, Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro-forma appended at **Annexure V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F.No.25/34/2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

**Annexure I**

**Boundaries description of Eco-sensitive Zone around Sajjangarh Wildlife Sanctuary**

| | |
|---|---|
| South | Starting from *Shilpgram tiraha* (tri-junction of roads; on *Rani* road at bank of *Fateh Sagar*), moving along road reaching Rajiv Gandhi Park, further moving along the park boundary towards village *Hawala* reaching Muslim graveyard keeping the graveyard outside– moving ahead along the western boundary of graveyard reaching north-east corner of *Hawala* closure (Sajjangarh Wildlife Sanctuary)- further moving along the eastern wall of the closure towards south direction, reaching south-east corner of *Hawala* closure– moving further along the tar road towards Udaipur city, reaching power house tri-junction road – further moving from this point along the tar road, reaching *Rampura choraha* – moving along the tar road, reaching *Sisarma* river bridge near *Sisarma* village taking a turn towards village *Kalaroi* (keeping the village outside), reaching *Kodiat* road – moving further along the southern boundary of *Kaler* forest block reaching *Amarjok nadi* near *Bujra Ki Bhagal.* |
| West | Starting from *Amarjok* river near *Bujra Ki Bhagal*, further following boundary of *Kaler* block (keeping *Kodiat* village outside), reaching *Morwania* village on *Ubeshwar* road (keeping *Morwania* village outside) – moving further from the point, reaching *Morwania* river. |
| North | Starting from *Morwania* river, further moving towards north, reaching west of *Varda* road on a small hillock, parallel to road – moving further along the edge of the hillock, reaching *Nathawaton Ka Gudafala* (keeping *Nathawaton Ka Gudafala* inside) – moving ahead, between two small hillocks, taking a turn towards *Makreda* block, reaching to the 896m. high peak of this block – further moving along the ridgeline of *Makreda* block towards northern site and reaching *Thur* road. |
| East | Starting from *Thur* road, taking a "U" turn, moving along the eastern boundary of *Makreda* forest block, reaching TB sanatorium *Badi* – moving from this point along Udaipur road, reaching *Rani* road tri-junction close to Wildlife Division – further moving on *Rani* road keeping *Thur magra* forest block inside, reaching *Shilpgram tiraha* to close the circuit. |

**Annexure II**

**Map of Eco-sensitive Zone around Sajjangarh Wildlife Sanctury along with coordinates**

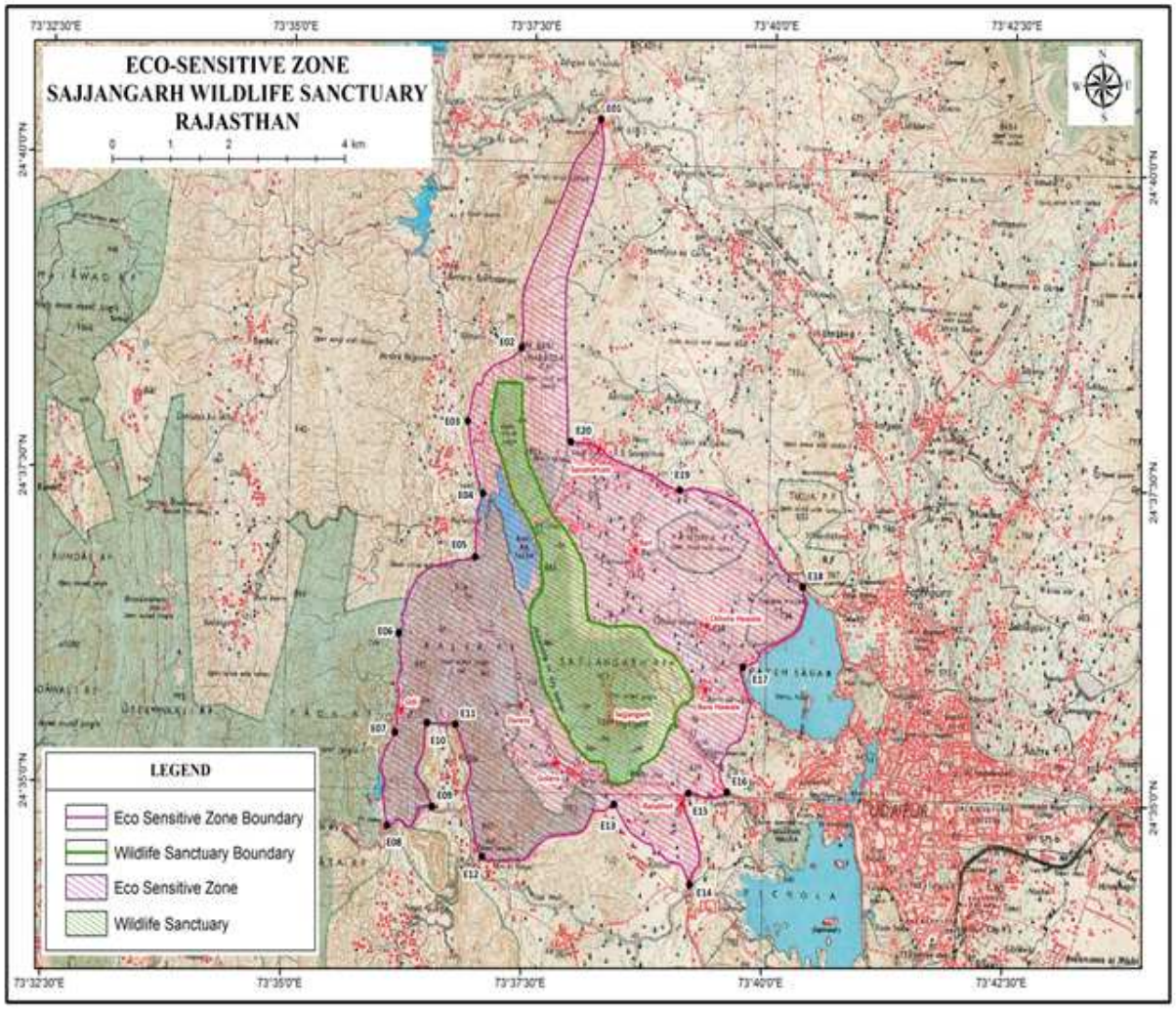


**Annexure III**

**GPS coordinates of proposed Eco-sensitive Zone around Sajjangarh Wildlife Sanctury**

| Sl_No | GPS | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|
| 1 | E01 | 73° 38.185' E | 24° 40.357' N |
| 2 | E02 | 73° 37.399' E | 24° 38.527' N |
| 3 | E03 | 73° 36.853' E | 24° 37.936' N |
| 4 | E04 | 73° 37.026' E | 24° 37.365' N |
| 5 | E05 | 73° 36.955' E | 24° 36.861' N |
| 6 | E06 | 73° 36.173' E | 24° 36.240' N |
| 7 | E07 | 73° 36.153' E | 24° 35.452' N |
| 8 | E08 | 73° 36.087' E | 24° 34.713' N |
| 9 | E09 | 73° 36.549' E | 24° 34.871' N |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | E10 | 73° 36.483' E | 24° 35.534' N |
| 11 | E11 | 73° 36.778' E | 24° 35.528' N |
| 12 | E12 | 73° 37.080' E | 24° 34.483' N |
| 13 | E13 | 73° 38.443' E | 24° 34.923' N |
| 14 | E14 | 73° 39.244' E | 24° 34.301' N |
| 15 | E15 | 73° 39.213' E | 24° 35.025' N |
| 16 | E16 | 73° 39.614' E | 24° 35.042' N |
| 17 | E17 | 73° 39.757' E | 24° 36.038' N |
| 18 | E18 | 73° 40.366' E | 24° 36.684' N |
| 19 | E19 | 73° 39.071' E | 24° 37.430' N |
| 20 | E20 | 73° 37.927' E | 24° 37.794' N |

**Annexure IV**

**List of Villages falling within the Eco sensitive Zone**

| Sl_No | Settlement | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|
| 1 | Bari | 73° 38.620' E | 24° 36.944' N |
| 2 | Sanatortum | 73° 38.222' E | 24° 37.734' N |
| 3 | Chhota Hawala | 73° 39.374' E | 24° 36.355' N |
| 4 | Bara Hawala | 73° 39.370' E | 24° 35.845' N |
| 5 | Sajjangarh | 73° 38.408' E | 24° 35.580' N |
| 6 | Golera | 73° 37.833' E | 24° 35.237' N |
| 7 | Darara | 73° 37.466' E | 24° 35.693' N |
| 8 | Ratakhet | 73° 39.144' E | 24° 34.935' N |
| 9 | Odi | 73° 36.218' E | 24° 35.632' N |

**Annexure V**

**Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.
   Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment notification, 2006.

Details may be attached as separate Annexure.

6. Summary of case scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment notification, 2006.

Details may be attached as separate Annexure.

7. Summary of complaints ledged under section 19 of Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).

8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.02.20 10:44:21 +05'30'